MSTP/ D. No - 1275
24/3/15

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 20th March, 2014

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Andhra Pradesh State AIDS Control Society a body constituted by the Government of Andhra Pradesh in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

"Amount received in the form of grants-in-Aid from the Government of India."

2. This notification shall be deemed to apply for the period 01.06.2011 to 31.03.2013 and shall apply with respect to the Financial Years 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

3. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

(a) the Andhra Pradesh State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
(b) the activities and the nature of the specified income of the Andhra Pradesh State AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial year; and
(c) the Andhra Pradesh State AIDS Control Society files return of income in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

MS. Lekha
25/3/14

4. The grants received by the said Society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[Notification No. 17 /2014 (F.No.196/53/2012-ITA.I]

Deepshikha

(Deepshikha Sharma)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 20 मार्च, 2014

का.आ.   (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में सृजित निकाय 'आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी' को उक्त सोसायटी को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:

"भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि"।

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 01.06.2011 से 31.03.2013 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2013-2014, 2014-2015 और 2015-2016 के संबंध में लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, अर्थात:-

(क) आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी किसी वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती है;

(ख) आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की विशिष्ट आय की गतिविधियां और प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और

(ग) आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।

4. उक्त सोसायटी द्वारा प्राप्त अनुदान को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त और प्रयोग किया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 17 /2014 फा.सं.196/53/2012-आयकर निर्धारण-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।